



2026:AHC:169634

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 8192 वर्ष 2026

खुरशीद अली

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संजीव कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0791 वर्ष 2025, धारा 331(5), 64 भारतीय न्याय संहिता, थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे तर्क दिया गया कि कथित घटना दिनांक 18.08.2025 को घटित होना बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट चार दिन पश्चात दिनांक 22.08.2025 को धारा 331(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अंकित की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने में हुए विलंब को सूचनाकर्ता द्वारा संतोषजनक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। दिनांक 22.08.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक उसके कमरे में प्रवेश कर गया और उसे धमकी दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। जब पीड़िता का बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, तब उसने अपने पूर्व कथन को पूर्णतः बदल दिया और आरोप लगाया कि आवेदक द्वारा उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया। यही कथन पीड़िता द्वारा धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिलिखित अपने बयान में भी दोहराया गया। आगे तर्क दिया गया कि पीड़िता ने अपने पूर्व कथन में सुधार किया और पहली बार बलात्कार का आरोप तब लगाया गया जब उसका बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिलिखित किया गया। पीड़िता विश्वसनीय साक्षी नहीं है और धारा 180 एवं 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दिए गए उसके बयानों में प्रस्तुत कथन विश्वास योग्य नहीं है। इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 21459 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 26.09.2025 के आदेश द्वारा आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। उसने विवेचना में सहयोग किया। अब आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और विवेचना पूर्ण हो चुकी है। अतः आवेदक से अभिरक्षा में पूछताछ किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने और संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाए, उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के पहलू से विवाद नहीं किया।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की परस्पर विरोधी दलीलों को सुना तथा अभिलेखों का परिशीलन किया।

6. इस मामले में आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदक के विरुद्ध यह आरोप नहीं है कि उसने विवेचना में सहयोग नहीं किया। आवेदक से अभिरक्षा में पूछताछ किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. अमन प्रीत सिंह बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2022) 13 एस.सी.सी. 764 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि :

"11. उपर्युक्त का पठन यह दर्शाता है कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसे निर्धारित किया गया है। मजिस्ट्रेट अथवा अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लेने या उसका विचारण करने के लिए सशक्त न्यायालय को तत्काल आरोप-पत्र स्वीकार करना होगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को अनिवार्य रूप से समन जारी करना चाहिए, न कि गिरफ्तारी वारंट। यदि वह गिरफ्तारी वारंट जारी करने के विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के अनुसार कारण अभिलिखित करने होंगे कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है अथवा समन का पालन नहीं करेगा या समन की विधिवत तामील प्रमाणित होने के बावजूद उपस्थित होने से इंकार कर चुका है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उप-प्रस्तर (iii) में की गई टिप्पणियाँ सावधानी के स्वरूप हैं।

12. जहाँ तक वर्तमान मामले और धारा 170 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों का संबंध है, उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-प्रस्तर (v) में की गई टिप्पणियाँ उस अभियुक्त के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त हैं, जो गैर-जमानती अपराध में अभियुक्त है और जिसकी अभिरक्षा विवेचना की अवधि के दौरान आवश्यक नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह उचित है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि विवेचना के दौरान उसकी गिरफ्तारी न होना अथवा उसे अभिरक्षा में प्रस्तुत न किया जाना, अपने आप में, उसे जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी बनाने के लिए पर्याप्त है। इस तर्क को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से स्वतंत्र रहा है और विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार तक नहीं किया गया है, तो केवल आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना और उसे कारावास में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रखना जमानत प्रदान किए जाने के लिए लागू सिद्धांतों के विपरीत होगा। इससे हम और अधिक सहमत नहीं हो सकते।"

8. अतः अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता गण की दलीलों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार से यह आवेदक को मामले में विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है।

9. तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है :-

(i) आवेदक-**खुर्शीद अली** की गिरफ्तारी की स्थिति में, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष विचारण के प्रयोजनार्थ जब भी आवश्यक हो, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचक अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष समुचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

12 अगस्त, 2026

राधिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।